

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (308) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/अभि./आंगनबाड़ी/ 2016-17

जयपुर, दि. 25 अगस्त, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, भरतपुर, पाली,
भीलवाडा, जयपुर, झुन्झुनू, बूंदी,
कोटा, डूंगरपुर, चूरू, नागौर एवं उदयपुर।

विषय:- वर्ष 2007-08 में आयोजना मद के अन्तर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के विरुद्ध शेष रहे आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने एवं अपूर्ण रहने के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी नवीनतम प्रगति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 07.12.2016, 13.01.2017, 16.01.2017, 24.01.2017, 09.02.2017, 10.03.2017, 27.04.2017, 20.12.2017 एवं 08.02.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में **आयोजना मद** के अन्तर्गत जिलेवार लक्ष्य आवंटित कर कार्यों को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक राशि जिला परिषद के पीडी खातों में हस्तान्तरित की गई थी (प्रशा. एवं वित्तीय स्वी. दि. 21.11.2007)। स्वीकृति के विरुद्ध निदेशालय, आईसीडीएस एवं जिलों से प्राप्त प्रगति सूचना के आधार पर अभी तक अहस्तान्तरित, प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण भिजवाते हुये पूर्ण केन्द्रों को तत्काल आईसीडीएस को हस्तान्तरित करने, प्रगतिरत कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने एवं अप्रारम्भ केन्द्रों की स्वीकृति निरस्त करने एवं अपूर्ण रहने के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही एवं नवीनतम प्रगति एवं वस्तुस्थिति स्पष्ट कराने बाबत प्रांसगिक पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया था (विवरण पुनः संलग्न)। इस सम्बन्ध में आपके स्तर से की गई कार्यवाही एवं नवीनतम सूचना आदिनांक तक अप्राप्त रही है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि **जिला परिषद जयपुर, बूंदी, कोटा, झुन्झुनू एवं उदयपुर से पूर्व के प्रांसगिक पत्रों के सम्बन्ध में बार-बार मौखिक रूप से स्मरण करवाने के उपरान्त भी वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई, जो कि खेदजनक है।**

इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि:-

1. पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों को तत्काल विभाग को हस्तान्तरित करवाया जावें।
2. प्रगतिरत आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर करवाया जावें।
3. अप्रारम्भ आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करवाया जावें।
4. निर्माण कार्य अबतक अपूर्ण रहने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से सूचित करें।
5. नवीनतम प्रगति निर्धारित प्रपत्र में ई-मेल pdengg_rdd@yahoo.com पर भिजवावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंचायति।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, 2, जल पथ, गांधीनगर, जयपुर को उनके कमांक एफ 11(3) मों./बजट घो./मरम्मत/आईसीडीएस/ 2016-17/146185 दिनांक 13.08.2018 के क्रम में।।
3. जिला कलक्टर, भरतपुर, पाली, भीलवाडा, जयपुर, झुन्झुनू, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, चूरू, नागौर एवं उदयपुर राजस्थान।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर, पाली, भीलवाडा, जयपुर, झुन्झुनू, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, चूरू, नागौर एवं उदयपुर।
5. उपनिदेशक, महिला बाल विकास विभाग, जिला भरतपुर, पाली, भीलवाडा, जयपुर, झुन्झुनू, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, चूरू, नागौर एवं उदयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) जिला परिषद, भरतपुर, पाली, भीलवाडा, जयपुर, झुन्झुनू, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, चूरू, नागौर एवं उदयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

परिशिष्ट 'अ'

वित्तीय वर्ष 2007-08 में आयोजना मद में स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण की वर्तमान स्थिति (निदेशालय आईसीडीएस से 08.02.2017 तक प्राप्त सूचना एवं जिला परिषदों से प्राप्त नवीनतम प्रगति/सूचना के अनुसार)

जिला	आईसीडीएस को अभी तक स्थान्तरित नहीं किया गया केन्द्रों की संख्या	अभी भी प्रगतिरत आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या, इन्हे तत्काल पूर्ण करवाया जाना है एवं अपूर्ण के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे ।	आंगनबाडी केन्द्र जो अभी तक प्रारम्भ नहीं हुये है	विशेष विवरण (पत्र 07.12.2016, 13.01.2017, 16.01.2017, 24.01.2017, 09.02.2017, 10.03.2017, 27.04.2017, 20.12.2017, 08.02.2018 के उपरान्त)
भरतपुर		8		श्री अनिरुद्ध शर्मा, कनि० अमि० - 16 सी०सी०ए० (चीखरू, मौरोली ग्रा. पं. जसपुरा मौरोली-बयाना), श्री रामस्वरूप शर्मा (उडकी दल्ला, नगर व जुरहरा, कामां), तत्कालीन सचिव- 16 सी०सी०ए०। तत्कालीन सरपंच श्री द्वारका प्रसाद का निधन, तत्कालीन सचिव श्री इन्द्रपाल सेवानिवृत हो चुके हैं, अन्य कार्यवाही प्रक्रियाधीन है (साबई, डीग)। शेष में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन (ई-मेल दिनांक 15.02.2018।
पाली		6+1. अपूर्ण	4	1 अपूर्ण (जि.प. पत्र दिनांक 14.03.2017)
भीलवाडा	1			दि. 15.01.2018 द्वारा अवगत कराया कि 1 केन्द्र गाडरीखेडा, ग्राम पं. रीठ पं. सं. कोठडी छत स्तर पर राशि के अभाव में अपूर्ण । वि. अ. पं. स. कोटडी द्वारा संबंधित एजेंसी के विरुद्ध की जा रही है।
जयपुर		37		सूचना अप्राप्त
बूंदी		4		सूचना अप्राप्त
डूंगरपुर			2	
कोटा		43		सूचना अप्राप्त
चुरू			6	
झुझनु	2			सूचना अप्राप्त
उदयपुर		1	3	सूचना अप्राप्त
नागौर			8	अप्रारम्भ केन्द्रों की स्वीकृति के निरस्तीकरण आदेश एवं प्रथम किश्त की राशि वापस लौटाये जाने की सूचना अप्राप्त
कुल	3	99	23	